ग्रेटर नौएडा औद्यौगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट नं0 –01, सैक्टर – के0 पी0 –4, ग्रेटर नौएडा।
जनपद – गौतमबुद्वनगर
वेबसाइटः www.greaternoidaauthority.in

पत्रांकः– अ०प्र०/2019/810 दिनांक :– 06/06/2019

प्रेस विज्ञप्ति

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र के सैक्टरों/सडकों पर अवैध रूप से लगाये गये यूनिपोल एवं बैनर/पोस्टर/पम्पलेट पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र के सैक्टरों/सडकों पर अवैध रूप से लगाये गये यूनिपोल एवं बैनर/पोस्टर/पम्पलेट पर कार्यवाही की जा रही है, जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा विगत 05 महीनों से अवैध यूनिपोल पर **कुल अर्थदण्ड रू0 1,34,00,000/– (रू0 एक करोड चौतीस लाख मात्र)** एवं बैनर/पोस्टर/पम्पलेट पर **कुल अर्थदण्ड रू0 7,90,000/– (रू0 सात लाख नब्बे हजार मात्र)** आरोपित किया जा चुका है, जिस पर निरन्तर कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र में अवैध रूप से लगाये गये यूनिपोल एवं बैनर/पोस्टर/पम्पलेट पर वर्तमान में अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने वाले नोटिसों पर लोकेशन जी0 पी0 एस0 स्टेरिपंग कर प्रेषित किये जा रहे है, जिससे कोई भी अवैध विज्ञापन कर्ता द्वारा भविष्य में उसी स्थान अथवा अन्य स्थानों पर अवैध रूप से विज्ञापन लगाये जाने की दशा में उसके विरूद्ध प्रभावी एवं कठोर कार्यवाही कराने में मदद मिल सकेगी।

तदक्रम में अवगत कराना है कि यदि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की बिना अनुमति ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र के सैक्टरों/सडकों पर अवैध रूप से यूनिपोल एवं बैनर/पोस्टर/पम्पलेट चस्पा किये जाते है तो उसके लिये प्रति अवैध यूनिपोल हेतु अर्थदण्ड रू0 1,00,000/– एवं प्रति बैनर/पोस्टर/पम्पलेट हेतु अर्थदण्ड रू0 5000/– रोपित किया जायेगा। अर्थदण्ड की धनराशि जमा न कराने की दशा में अवैध विज्ञापन कर्ता पर राजस्व प्राप्ति हेतु आर0 सी0 जारी करने की विधिवत कार्यवाही करते हुऐ उसके विरूद्व सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज करा दी जायेगी, जिसके लिये विज्ञापनकर्ता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner